4

4.1 सूक्ष्म वित्त संबंधी पहलों का विस्तार

4.2 बेहतर आजीविका के लिए सहयोग

4.3 कृषक उत्पादक संगठन

4.4 कृषीतर क्षेत्र का सशक्तीकरण

4.5 ग्रामीण उद्यमियों, स्टार्ट-अप्स, विपणन और ब्रांडिंग में सहयोग

4.6 कृषि क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहन

4.7 अनुसंधान में सहयोग और ज्ञान साझा करना

4.8 संधारणीय आजीविका के माध्यम से समावेशी विकास

समावेशी विकास की दिशा में

नाबार्ड आजीविका संवर्धन, कौशल विकास, वित्तीय और डिजिटल समावेशन, संस्था निर्माण, उद्यमिता संवर्धन, अनुसंधान सहायता और ज्ञान प्रसार के माध्यम से समावेशी विकास की दिशा में काम कर रहा है. इस प्रकार के सहयोगों ने जमीनी स्तर पर सकारात्मक परिणाम दिए हैं, जो ग्रामीण भारत के लिए एक संधारणीय विकास पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने और समग्र आर्थिक विकास में योगदान देने में नाबार्ड की सफलता को दर्शाते हैं. 1980 के दशक में विकास वॉलंटियर वाहिनी योजना इस दिशा में पहली पहल थी. बाद में, नाबार्ड ने आधार स्तर पर समुदाय-संचालित संस्थाओं को मजबूत करने के लिए संयुक्त देयता समूहों (जेएलजी), कौशल तथा उद्यमिता विकास, कृषक उत्पादक संगठनों (एफपीओ) और कृषीतर उत्पादक संगठनों (ओएफपीओ) के संवर्धन को बढ़ावा दिया. साक्ष्य-आधारित निर्णय लेने, नीति निर्माण, क्षेत्रीय विश्लेषण, नवाचार, जोखिम आकलन, निगरानी, मूल्यांकन और ज्ञान प्रसार को सक्षम करके सतत और समावेशी ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए नाबार्ड की क्षमता को मजबूत करने में अनुसंधान महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है.

4.1 सूक्ष्म वित्त संबंधी पहलों का विस्तार

4.1.1 स्वयं-सहायता समूह

नाबार्ड के स्वयं सहायता समूह-बैंक लिंकेज (एसएचजी-बीएलपी) कार्यक्रम ने वित्तीय साक्षरता, समूह संपार्श्विक (कोलैटरल) दृष्टिकोण और ऋणों की प्रयोजन तटस्थता के अपने नवोन्मेषी दृष्टिकोण के माध्यम से संसाधनों और औपचारिक बैंकिंग तक पहुँच से संसाधनहीन ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने में मदद की है.

वर्ष 1992 में अपनी शुरुआत के बाद से इस कार्यक्रम ने बचत करने, उधार लेने और सामाजिक पूँजी बनाने में ग्रामीण महिलाओं की सहायता की है और अब इस कार्यक्रम में 16.2 करोड़ परिवार शामिल हैं. इस कार्यक्रम ने महिलाओं के जीवन में सुधार किया है तथा बचत और बैंक लिंकेज में कई उपलब्धियाँ हासिल की हैं (तालिका 4.1). स्वयं सहायता समूहों ने अपने सदस्यों, विशेषकर ग्रामीण महिलाओं, की आय बढ़ाई और निजी साहूकारों पर उनकी निर्भरता कम की जिसके कारण वे एक संधारणीय विकल्प साबित हुए हैं.

नाबार्ड ने वित्तीय वर्ष 2023 में स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा देने वाली संस्थाओं को अनुदान के रूप में ₹513 लाख जारी किए, जिससे 4,489 स्वयं सहायता समूहों का बचत लिंकेज और 9,305 स्वयं सहायता समूहों का क्रेडिट लिंकेज हुआ.

4.1.2 महिला स्वयं-सहायता समूह

नाबार्ड वित्तीय वर्ष 2013 से डब्ल्यूएसएचजी विकास निधि के तहत 150 जिलों (पिछड़े जिले, वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिले, या दोनों समस्याओं से प्रभावित जिले) में महिला स्वयं सहायता समूहों (डब्ल्यूएसएचजी) को सहायता प्रदान कर रहा है (चित्र 4.1).

चित्र 4.1: वित्तीय वर्ष 2023 तक महिला स्वयं सहायता समूह विकास निधि का निष्पादन

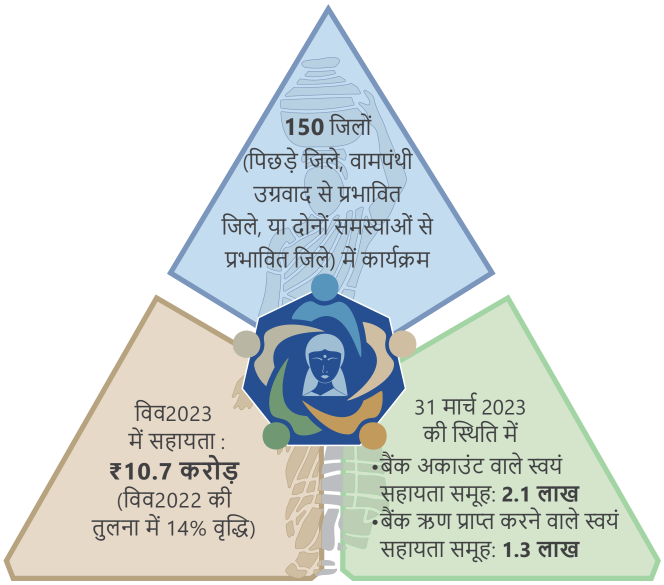

नोट: एलडब्ल्यूई - वामपंथी उग्रवाद, एसएचजी - स्वयं सहायता समूह

4.1.3 संयुक्त देयता समूह

नाबार्ड द्वारा लघु और सीमांत किसानों, किराएदार किसानों, मौखिक पट्टेदारों और बटाईदारों के लिए उनके संयुक्त देयता समूह को उपलब्ध बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से संपार्श्विक-मुक्त (कोलैटरल मुक्त) ऋण प्रदान कर आजीविका का संवर्धन किया जा रहा है (चित्र 4.2).

तालिका 4.1: वित्तीय वर्ष 2023 तक स्वयं सहायता समूह- बैंक लिंकेज कार्यक्रम का निष्पादन

विवरण	*31 मार्च 2023 की स्थिति*		*वित्तीय वर्ष 2022 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2023 में वृद्धि (%)*	
	एसएचजी की संख्या (लाख)	*राशि (₹ करोड़)*	*एसएचजी की संख्या*	*राशि*
वित्तीय वर्ष 2023 के दौरान ऋण संवितरण	43	1,45,200.2	26	46
बकाया ऋण	70	1,88,078.8	3	25
बैंक में बचत	134	58,892.7	13	25
अनर्जक आस्तियाँ (%)	2.8		-27	
वित्तीय वर्ष 2023 के दौरान प्रति एसएचजी संवितरित औसत ऋण (₹ लाख)	3.4		15	

नोट: 31 मार्च 2023 तक, एसएचजी-बीएलपी कार्यक्रम के अंतर्गत 134 लाख एसएचजी में 16.2 करोड़ परिवार शामिल हैं (जिनमें से 84.3% महिला स्वयं सहायता समूह हैं).

चित्र 4.2: वित्तीय वर्ष 2023 तक संयुक्त देयता समूहों का संवर्धन

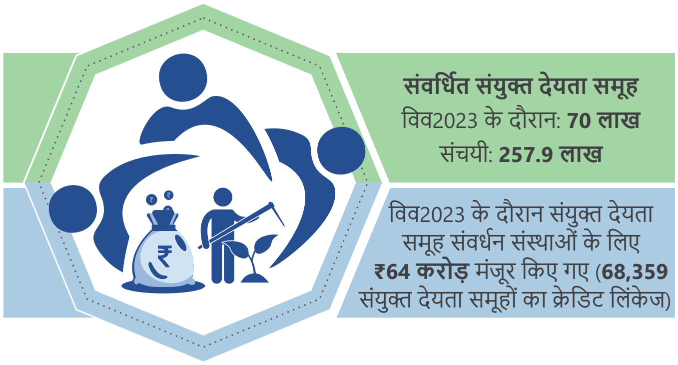

नाबार्ड ने आय और रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए कृषीतर क्षेत्र में सूक्ष्म-उद्यमों को भी सुदृढ़ किया है.

4.2 बेहतर आजीविका के लिए सहयोग

4.2.1 कौशल विकास और उद्यमिता संवर्धन

नाबार्ड द्वारा तीन कार्यक्रमों- सूक्ष्म उद्यमिता विकास कार्यक्रम (एमईडीपी), आजीविका और उद्यमिता विकास कार्यक्रम (एलईडीपी) और मजदूरी/ स्वरोजगार के लिए कौशल विकास कार्यक्रम (एसडीपी) के माध्यम से कौशल निर्माण और उद्यमिता का संवर्धन किया जा रहा है (चित्र 4.3).

नाबार्ड ने माँग और परिणाम-आधारित कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से ग्रामीण भारत में कौशल की कमी को दूर करने के लिए एक संरचित दृष्टिकोण विकसित किया है जिससे मजदूरी/ स्व-रोजगार को बढ़ावा मिलता है.

वित्तीय वर्ष 2007 में इसकी शुरुआत के बाद से, एमईडीपी का उपयोग स्वयं सहायता समूहों को कौशल प्रदान करने और उनकी क्षमताओं को उन्नत करने के लिए किया गया है जो सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के लिए एक नींव के रूप में काम करते हैं. इस कार्यक्रम में कृषि और कृषीतर - दोनों प्रकार के आजीविका कार्यकलापों के प्रशिक्षण के लिए अनुदान सहायता शामिल है.

नाबार्ड द्वारा स्वयं सहायता समूहों सदस्यों के बीच स्थायी आजीविका और कौशल उन्नयन का अधिकतम प्रभाव पैदा करने के लिए वित्तीय वर्ष 2016 में एलईडीपी को मुख्यधारा में लाया गया.

आजीविका और उद्यम विकास कार्यक्रमों में निकटवर्ती गाँवों में स्थित कृषि और कृषीतर गतिविधियों वाले क्लस्टरों के स्वयं सहायता समूहों को शामिल किया जाता है और उनके गहन कौशल निर्माण, पुनश्चर्या प्रशिक्षण, बैकवर्ड-फॉरवर्ड लिंकेज, मूल्य श्रृंखला प्रबंधन, आद्यंत समाधान हेतु सहायता के साथ-साथ दो ऋण चक्रों के लिए मार्गदर्शन दिया जाता है.

चित्र 4.3: कौशल और उद्यमिता विकास कार्यक्रम

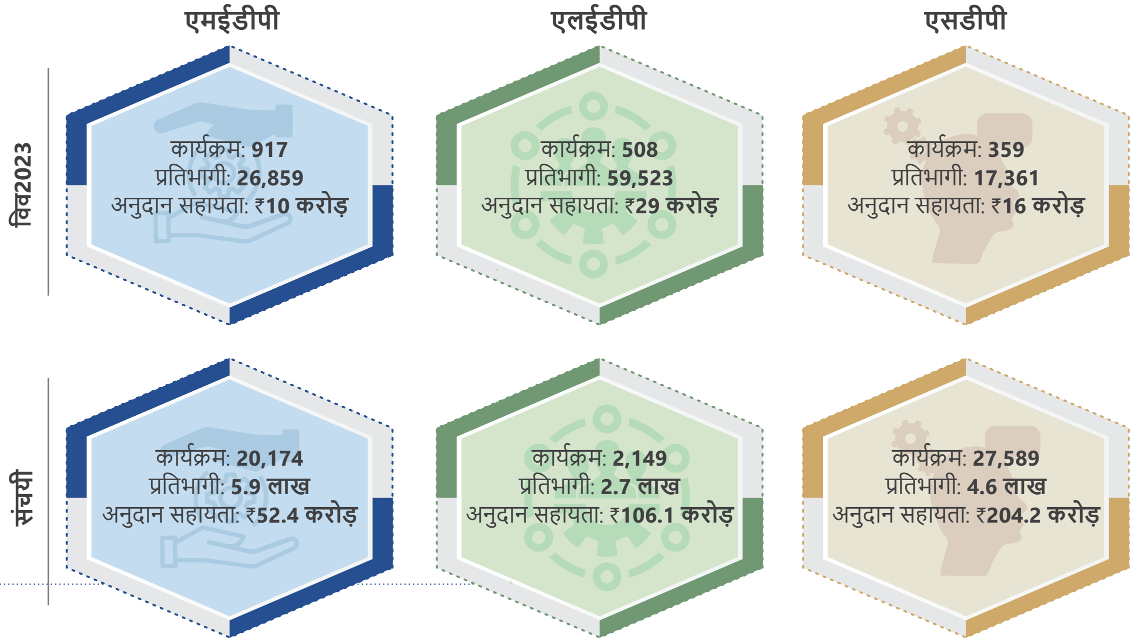

नोट: एलईडीपी = आजीविका और उद्यमिता विकास कार्यक्रम, एमईडीपी = सूक्ष्म उद्यमिता विकास कार्यक्रम; एसडीपी = कौशल विकास कार्यक्रम

4.2.2 उद्यमिता विकास के लिए प्रायोगिक परियोजना

वित्तीय वर्ष 2022 में 'महिलाओं की आजीविका और उद्यमिता का पोषण' पर गुजरात, नागालैंड और मणिपुर के नौ जिलों में कार्यान्वयन के लिए ₹65.4 लाख की वित्तीय सहायता के साथ एक प्रायोगिक परियोजना के लिए फ्रेंड्स ऑफ वीमेंस वर्ल्ड बैंकिंग, इंडिया को मंजूरी दी गई जिसमें तीन आकांक्षी जिले और छह अन्य महिला स्वयं सहायता समूह शामिल हैं. डब्ल्यूएसएचजी वाले जिलों में, 800 ग्रामीण महिलाओं के नेतृत्व वाले सूक्ष्म-उद्यमों का संवर्धन किया जाना था, जिनमें से 400 को ऋण के साथ जोड़ा जाना था. परियोजना के तहत परिवार की आय में 25% की वृद्धि का अनुमान लगाया गया था.

31 मार्च 2023 तक, तीन राज्यों में 842 लाभार्थियों को बाँस शिल्प, बेकिंग, अचार/ जैम/ पापड़ बनाने, फल प्रसंस्करण, सिलाई आदि का प्रशिक्षण दिया गया है. इनमें से 570 प्रशिक्षुओं को ऋण प्रदान किया गया है.

4.2.3 क्षमता निर्माण

नाबार्ड ने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए क्षमता निर्माण हेतु विभिन्न पहलें की हैं (बॉक्स 4.1 और 4.2).

बॉक्स 4.1: क्षमता निर्माण निधि- सोशल स्टॉक एक्सचेंज

वित्तीय वर्ष 2023 के दौरान, नाबार्ड, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी), बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और अन्य के वित्तपोषण सहयोग से ₹100 करोड़ की मूलनिधि के साथ क्षमता निर्माण निधि-सोशल स्टॉक एक्सचेंज (सीबीएफ-एसएसई) का सृजन किया गया.

इस निधि का उपयोग विभिन्न हितधारकों की जागरूकता और क्षमता निर्माण के लिए किया जाएगा जिनमें गैर-लाभकारी संगठन, लाभकारी उद्यम, निवेशक, निधिदाता, क्षमता निर्माता, सामाजिक जाँचकर्ता, प्रशासक और सूचना भंडारों से जुड़े व्यक्ति शामिल हैं. इस निधि का उपयोग एसएसई के लक्ष्यों और उद्देश्यों, उनके कामकाज, वित्तपोषण के अवसरों और अन्य हितधारकों की तुलना में इसकी भूमिका के बारे में जागरूकता पैदा करने और उपलब्धियों, परिणामों और प्रभावों पर सटीक रिपोर्टिंग की आवश्यकता और महत्व को समझने के लिए जाएगा.

नाबार्ड और सिडबी प्रत्येक ने इसका परिचालन शुरू करने के लिए ₹2.5 करोड़ की राशि जारी की है.

बॉक्स 4.2: सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, लघु वित्त बैंकों (एसएफ़बी) और सूक्ष्म वित्त संस्थाओं (एमएफ़आई) द्वारा वित्तपोषित सूक्ष्म-उद्यमों के विश्लेषण पर अध्ययन

बैंकर ग्रामीण विकास संस्थान (बर्ड), लखनऊ में स्थित सेंटर फॉर रिसर्च ऑन फाइनेंशियल इन्क्लूजन एंड माइक्रोफाइनेंस ने एक अध्ययन किया जिसमें उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र के आठ जिलों में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी), लघु वित्त बैंकों (एसएफबी) और सूक्ष्म वित्त संस्थाओं (एमएफआई) की 48 शाखाओं से ऋण प्राप्त करने वाले 144 सूक्ष्म उद्यमों को शामिल किया गया था.

इस अध्ययन में निम्नलिखित की जाँच की गई :

- सूक्ष्म उद्यम क्षेत्र की प्रमुख विशेषताएँ;
- इस क्षेत्र में ऋण की माँग, प्रवाह और आवश्यकता के बीच अंतर; और
- विपणन और डिजिटल प्लेटफार्मों पर ऑनबोर्डिंग के मामले में सूक्ष्म-उद्यमी ग्राहकों के अनुभव.

अध्ययन के प्रमुख निष्कर्ष नीचे प्रस्तुत किए गए हैं:

- सैंपल ग्राहकों की औसत आयु 39.3 वर्ष है और 57% ग्राहकों ने 10 वीं कक्षा तक पढ़ाई की है, इससे पता चलता है कि ग्राहकों में वयस्क व्यक्ति शामिल हैं और उनकी वित्तीय साक्षरता का स्तर अच्छा है.
- ऋण देने वाली संस्थाओं ने समूह-आधारित संयुक्त देयता समूह/ एसएचजी मॉडल के माध्यम से सैंपल सूक्ष्म-उद्यमों को ऋण दिए.
- एमएफआई द्वारा सूक्ष्म-वित्त क्षेत्र में सबसे अधिक सूक्ष्म ऋण वितरण किया गया, इसके बाद एसएफबी और बैंकों से जुड़े स्वयं सहायता समूहों का योगदान रहा, जो सभी सैंपल फंडिंग एजेंसियों द्वारा प्रदत्त कुल ऋण का 37.5% था.
- 62% सूक्ष्म उद्यम खुदरा या व्यापार क्षेत्र में लगे हुए हैं, जिसके बाद विनिर्माण क्षेत्र का स्थान है.
- वित्तीय वर्ष 2022 में ऋण आपूर्ति की संरचना:
  - ◇ एमएफआई द्वारा ऋण : ₹24.85 लाख (कुल ऋण आपूर्ति का 37.5% हिस्सा)
  - ◇ एसएफबी द्वारा ऋण : ₹24.12 लाख (36.5%)
  - ◇ पीएसबी द्वारा ऋण: ₹17.14 लाख (25.9%)
- एमएफआई (4,737) और पीएसबी (1,463) की तुलना में एसएफबी (12,257) की पहुँच अधिक पाई गई, जैसा कि बकाया ऋण की संख्या से पता चलता है.
- ग्राहक संबंध प्रबंधन भी एमएफआई और एसएफबी में बेहतर पाया गया. समूह की सभी बैठकों में एमएफआई और एसएफबी के ऋण अधिकारी अनिवार्य रूप से भाग लेते हैं.
- एमएफआई और एसएफबी द्वारा ऋण पुस्तिका अच्छी तरह से तैयार की गई है और ग्राहकों को आसानी से समझ में आती है, जिसके कारण उनकी बैंकिंग में अपेक्षाकृत अधिक पारदर्शिता पाई गई.

4.3 कृषक उत्पादक संगठन

छोटे किसानों की खंडित भूजोत कृषि उत्पादकता और कृषि आय में वृद्धि के लिए बड़ी समस्याएँ हैं. कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ) इस तरह की छोटी जोत आधारित खेती को एक व्यवहार्य कृषि-व्यवसाय उद्यम में बदलने और किसानों की निवल आय बढ़ाने के लिए एक प्रभावी तंत्र के रूप में उभरे हैं. सामूहिकता और एकत्रीकरण के माध्यम से एफपीओ को ऋण, कृषि निविष्टियों, प्रौद्योगिकी, बाजार, कटाई के बाद प्रबंधन, मूल्य वर्धन आदि तक बेहतर पहुँच हासिल होती है.

नाबार्ड उत्पादक संगठन विकास और उत्थान कॉर्पस (प्रोड्यूस) निधि तथा उत्पादक संगठन विकास निधि (पीओडीएफ) के तहत एफपीओ का संवर्धन और मार्गदर्शन करता रहा है (तालिका 4.2).

फरवरी 2021 में, भारत सरकार ने 10,000 एफपीओ के गठन और संवर्धन के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना की घोषणा की और नाबार्ड को उसकी एक कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में चुना गया.

तालिका 4.2: कृषक उत्पादक संगठनों का संवर्धन

विवरण		प्रोड्यूस	पीओडीएफ़-आईडी	सीएसएस	कुल	टिप्पणी
मंजूर एफ़पीओ (संख्या)	संचयी	2,154	3,296	1,651	7,101	• लगभग सभी एफपीओ के पास बाजार लिंकेज है • 1,500 के पास बैंक ऋण है • 4,200 से अधिक एफ़पीओ के विवरण को नैबएफपीओ पोर्टल पर ऑनबोर्ड और अद्यतन किया गया है.
	वित्तीय वर्ष 2023 हेतु लक्ष्य	-	300	555	855	
	वित्तीय वर्ष 2023 में प्राप्त लक्ष्य	-	255	555	810	
पंजीकृत एफ़पीओ (संख्या)	संचयी	2,094	2,103	1,416	5,613	केंद्रीय क्षेत्र की योजना के तहत पंजीकृत 1,416 एफपीओ में से 717 को 31 मार्च 2023 तक ₹27.7 करोड़ की इक्विटी अनुदान सहायता प्रदान की गई .
	वित्तीय वर्ष 2023 में	-	206	681	887	
मंजूर अनुदान सहायता (₹ करोड़)	संचयी	214.4	332.1	685.5	1,232.0	
	वित्तीय वर्ष 2023 में	4.8	45.4	292.1	342.3	
अनुदान का उपयोग (₹ करोड़)	संचयी	193.1	172.1	129.5	494.7	
	वित्तीय वर्ष 2023 में	8.6	49.3	85.7	143.6	
शेयरधारकों के रूप में शामिल किसान (लाख)		9.9	9.1	3.0	22.0	• 82% लघु और सीमांत किसान • 30% महिला किसान
एफपीओ द्वारा एकत्रित संचयी शेयर पूंजी (₹ करोड़)		109.2	96.5	33.1	238.8	
शेष कॉर्पस, 31 मार्च 2022 (₹ करोड़)		15.4	332.7	154.7	502.8	
वित्तीय वर्ष 2023 के दौरान कॉर्पस से उपयोग की गई राशि (₹ करोड़)		8.6	49.3	85.7	143.6	
कॉर्पस की शेष राशि, 31 मार्च 2023 (₹ करोड़)		6.9	292.9[क]	लागू नहीं[ख]	299.8	

[क] ब्याज सहित.

[ख] अप्रयुक्त निधियों को भारत सरकार को वापस कर दिया जाता है.

नोट: सीएसएस = केंद्रीय क्षेत्र की योजना , एफ़पीओ= कृषक उत्पादक संगठन, नैबएफ़पीओ= नाबार्ड कृषक उत्पादक संगठन, पीओडीएफ़-आईडी= उत्पादक संगठन विकास निधि - विभेदक ब्याज, प्रोड्यूस= उत्पादक संगठन विकास और उत्थान कॉर्पस.

शोकेस 4.1: तमिलनाडु में संधारणीय कृषि का संवर्धन

अ. कृषक उत्पादक संगठन: अय्यमपलयम फार्मर प्रोड्यूसर्स कंपनी लिमिटेड

आ. स्थान: डिंडीगुल जिला, तमिलनाडु

इ. संवर्धन संस्था: श्री शक्ति सोशल इकोनॉमिकल एज्युकेश्नल वेलफेयर ट्रस्ट

ई. गतिविधियाँ

- अय्यमपलयम और उसके आसपास वाटरशेड समुदाय के किसानों की सहायता.
- वाटरशेड क्षेत्र में स्वचालित मौसम स्टेशन की स्थापना.
- निविष्टि प्रबंधन, मृदा परीक्षण और प्राकृतिक उर्वरक के प्रयोग के माध्यम से जलवायु आघात-सह्य कृषि के लिए किसानों को प्रेरित करना.
- जलवायु परिवर्तन के लिए अनुकूलन और शमन गतिविधियाँ शुरू करना तथा हितधारकों और कृषि महाविद्यालयों के छात्रों को प्रशिक्षण प्रदान करना.
- बिक्री के लिए एक वेबसाइट बनाना और व्यावसायिक गतिविधियों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफार्मों का उपयोग करना.

उ. उपलब्धियाँ>>परिणाम>>प्रभाव

तमिलनाडु में विश्व बैंक से सहायता प्राप्त वाषुंदु कातुवॉम (लेट अस लिव एंड शो) परियोजना के तहत ग्रीन क्लाइमेट अवार्ड (2022) से सम्मानित.

नारियल प्रसंस्करण

बिक्री हेतु उत्पाद

4.3.1 एफपीओ को सुदृढ़ करने के लिए अपनाई गई कार्यनीतियाँ

एफपीओ को मजबूत करने के लिए नाबार्ड क्षमता निर्माण के अलावा भी विभिन्न कार्यनीतियाँ अपना रहा है जिनमें बैंक लिंकेज, डिजिटलीकरण, एफपीओ को कमॉडिटी बाजारों से जोड़ना आदि शामिल हैं. ये कार्यनीतियाँ हैं -

- एफपीओ का मार्गदर्शन, क्षमता निर्माण और डिजिटलीकरण;
- बैंकों के साथ जुड़कर एफपीओ को ऋण वितरण करवाने, उपलब्ध ऋण गारंटी का लाभ दिलवाने और भारत सरकार, नाबार्ड तथा अन्य संस्थाओं से उपलब्ध प्रोत्साहन सहायता दिलवाने में सक्रिय भूमिका निभाना;
- एकत्रीकरण और विपणन में एफपीओ की ताकत का लाभ उठाने के लिए मूल्य श्रृंखला घटकों के साथ समन्वय करना;
- बेहतर मूल्य निर्धारण और राष्ट्रीय तथा वैश्विक बाजारों के साथ

कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए एफपीओ को कमॉडिटी बाजारों के साथ जोड़ना;

- अभिशासन (गवर्नेंस) और सांविधिक अनुपालन पर विशिष्ट सहायता प्रदान करने के साथ-साथ संसाधन सहायता एजेंसियों की देखरेख में एफपीओ के संवर्धन के लिए स्थानीय एजेंसियों की पहचान करना और उन्हें इस कार्य में जोड़ना; और
- वाडी, वाटरशेड और जलवायु परिवर्तन जैसे प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन कार्यक्रमों में अधिकतम क्षमता तक नए एफपीओ का गठन करना.

4.3.2 एफपीओ संवर्धन और विकास के लिए वित्तीय वर्ष 2023 में की गई पहलें

वित्तीय वर्ष 2023 के दौरान, नाबार्ड ने एफपीओ के संवर्धन और विकास के लिए कई पहलें की हैं, जिनमें से कुछ नीचे दी गई हैं:

- व्यवसाय आयोजना, एफपीओ वित्तपोषण, एफपीओ के निदेशक मंडल और मुख्य कार्यपालक अधिकारियों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम, हाई-टेक कृषि, मूल्य श्रृंखला प्रबंधन, कमॉडिटी एक्सचेंजों के साथ एफपीओ को जोड़ना, आदि पर बैंक अधिकारियों, एफपीओ, उत्पादक संगठनों की संवर्धन संस्थाओं, गैर सरकारी संगठनों आदि के लिए कई प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए;
- वित्तीय संस्थाओं, सदस्य बैंकों और राज्य सहकारी बैंकों के लिए एफपीओ वित्तपोषण पर एक मार्गदर्शन नोट तैयार किया गया;
- एफपीओ के निर्यात-अभिमुखीकरण को बढ़ाने के लिए अच्छी कृषि प्रथाओं, पैकेजिंग, ब्रांडिंग और निर्यात प्रोटोकॉल पर किसानों के क्षमता निर्माण, संबंधित संस्थाओं की योजनाओं के साथ तालमेल और चयनित कृषि-निर्यात क्लस्टरों में एफपीओ के संवर्धन पर किसानों के क्षमता निर्माण हेतु संयुक्त उपाय करने के लिए कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के साथ एक सहमति ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए.
- जीआईज़ेड सॉफ्टवेयर के सहयोग से 'संधारणीय कृषि और संधारणीय जलचरपालन हेतु क्षमता वृद्धि' परियोजना के अंतर्गत अन्य क्षमता निर्माण टूल्स शुरू किए और विकसित किए, जैसे - एफपीओ मानक (एक स्वचालित एफपीओ ग्रेडिंग टूल); एफपीओ जंक्शन (एफपीओ पर वन-स्टॉप ज्ञान स्रोत); एफपीओ बिजनेस प्लान टूलकिट (एफपीओ के बेसलाइन डेटा को कैप्चर करने और व्यवसाय योजना विकसित करने के लिए एक मोबाइल एप्लिकेशन); और एफपीओ एमओओसी (सभी हितधारकों के लिए अंग्रेजी और हिंदी में स्व-आकलित शिक्षण पाठ्यक्रम); और
- नाबार्ड की सहायक संस्था नैबसंरक्षण के तहत ₹1,000 करोड़ की ऋण गारंटी निधि की स्थापना की जिसमें भारत सरकार और नाबार्ड द्वारा समान अंशदान किया गया है. वित्तीय वर्ष 2023 के दौरान 703 एफपीओ (786 गारंटी) को ₹138 करोड़ का ऋण गारंटी कवर मंजूर किया गया है.

4.4 कृषीतर क्षेत्र का सशक्तीकरण

वित्तीय वर्ष 2017 से, नाबार्ड ग्रामीण गैर-कृषि उत्पादकों का एकत्रीकरण करने, उन्हें संस्थागत रूप देने और उनके द्वारा व्यवसायों की शुरुआत के लिए सहायता दे रहा है ताकि निविष्टियों और कच्चे माल की सामूहिक खरीद के जरिये एकत्रीकरण से बढ़े हुए संख्याबल का लाभ उठाया जा सके, उनकी मोलभाव की शक्ति बढ़ाई जा सके और उन्हें बेहतर उत्पादन प्रथाओं, डिजाइनिंग, विपणन आदि अवसरों का लाभ मिल सके.

कृषीतर उत्पादक संगठन (ओएफ़पीओ) हथकरघा, हस्तशिल्प और कृषि-प्रसंस्करण क्षेत्रों में ग्रामीण उद्यमों को बढ़ावा देते हैं और मूल्य वर्धन, डिजाइन नवोन्मेष और विकास, प्रसंस्करण, ब्रांड-निर्माण, भंडारण और लॉजिस्टिक सुविधाओं के निर्माण, और मशीनीकरण तथा प्रौद्योगिकी विकास के साथ-साथ मजबूत फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज के माध्यम से स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा करते हैं.

31 मार्च 2023 तक, नाबार्ड ने 27 राज्यों में 72 ओएफपीओ के संवर्धन और विकास के लिए ₹37.9 करोड़ की अनुदान सहायता मंजूर की जिनमें से 18 पूर्णतः महिला संगठन हैं. इसमें कुल 22,530 लाभार्थियों को शामिल किया गया, जिनमें 6,890 महिला सदस्य शामिल हैं.

वित्तीय वर्ष 2023 में, नाबार्ड ने **मौजूदा ओएफपीओ को अनुवर्ती सहायता की एक योजना शुरू की.** यह योजना क्षेत्रीय कार्यालयों को यह सुविधा प्रदान करेगी कि वे ओएफपीओ को संधारणीय व्यावसायिक स्तर प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए अपेक्षित ऐसी सहायता प्रदान कर सकें जो मूल मंजूरी का हिस्सा नहीं थी. जो ओएफपीओ इस योजना के तहत परिभाषित मानदंडों को पूरा करते हैं केवल वे ही इस योजना का लाभ उठा सकते हैं.

नाबार्ड ने आजीविका के अवसरों, रोजगार सृजन, वित्तीय और व्यवसाय संवर्धन सेवाओं तक पहुँच, प्रौद्योगिकी उन्नयन, प्रमाणन, गुणवत्ता नियंत्रण, ऋण और पर्यावरणीय मुद्दों के संवर्धन के लिए **विस्तृत परियोजना मोड में कृषीतर क्षेत्र में ग्रामीण नवोन्मेषों हेतु सहायता की एक योजना** भी शुरू की है. इस योजना के तहत इको-होमस्टे पर्यटन, कृषि पर्यटन, केला फाइबर निष्कर्षण, स्टार्ट-अप त्वरक (एक्सलरेटर) कार्यक्रम आदि क्षेत्रों में सात परियोजनाओं का चयन किया गया है.

शोकेस 4.2: आरी कढ़ाई ओएफपीओ-एवीएसएआर (अवसर) की पहल

अ. महिलाओं का लघु ओएफपीओ: स्वावलंबी सखी प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड (एसएसपीसी)

आ. स्थान: धारवाड़, कर्नाटक

इ. उत्पादक संगठन की संवर्धन संस्था: देशपांडे फाउंडेशन

ई. सहयोग

- नाबार्ड ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई), हुबली और देशपांडे फाउंडेशन के सहयोग से हुबली हवाई अड्डे पर एक खुदरा बिक्री केंद्र का संवर्धन किया है. हुबली हवाई अड्डे से रोजाना नौ उड़ानें संचालित की जाती हैं.
- इस बिक्री केंद्र को 'अवसर' (स्थानीय कुशल कारीगरों के लिए बिक्री केंद्र के रूप में हवाई अड्डा- एयरपोर्ट एज़ वेन्यू फॉर स्किल्ड आर्टिज़ंस ऑफ द रीजन) नाम दिया गया है. 15 अगस्त 2022 से इसके द्वारा परिचालन शुरू किया गया.
- इस केंद्र में एसएसपीसी द्वारा उत्पादित बच्चों के कपड़े, साड़ी और स्लिंग बैग सहित कई प्रकार के कढ़ाई के सामान का प्रदर्शन किया गया है.

उ. उपलब्धियाँ>>परिणाम>>प्रभाव

- अगस्त 2022 और मार्च 2023 के बीच कुल ₹21.4 लाख का कारोबार.
- हवाई यात्रियों के आवागमन के कारण विभिन्न राज्यों से ऑर्डर प्राप्त होने के फलस्वरूप ग्राहक आधार में वृद्धि.
- ओएफपीओ सदस्यों के आत्मविश्वास में वृद्धि और विपणन कौशल, व्यवहार कुशलता और भाषा कौशल में सुधार.

नोट: ओएफ़पीओ=कृषीतर उत्पादक संगठन

4.5 ग्रामीण उद्यमियों, स्टार्ट-अप्स, विपणन और ब्रांडिंग में सहयोग

4.5.1 ग्रामीण/ कृषि व्यवसाय उद्भवन केंद्र

कृषि-स्टार्ट-अप किसानों, निविष्टि विक्रेताओं, थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं और उपभोक्ताओं को एक-दूसरे से जोड़ते हैं, जो सही समय पर सुदृढ़ विपणन लिंकेज और गुणवत्ता वाले उत्पाद उपलब्ध कराते हैं. इन स्टार्ट-अप्स के समक्ष उपस्थित चुनौतियों के समाधान हेतु नाबार्ड कृषि विश्वविद्यालयों/ इसी तरह की अन्य संस्थाओं में ग्रामीण/ कृषि-व्यवसाय उद्भवन केंद्रों की स्थापना के लिए आद्यंत तकनीकी सहायता उपलब्ध कराता है ताकि कृषि-स्टार्ट-अप्स और कृषि-उद्यमियों को व्यवसाय हेतु सहयोगी सेवाएँ और संसाधन प्रदान किए जा सकें (चित्र 4.4).

4.5.2 कृषि/ ग्रामीण स्टार्ट- अप्स की सहायता के लिए उत्प्रेरक पूँजी निधि

नाबार्ड ने उद्भवन केंद्रों और अपनी सहायक संस्थाओं के माध्यम से ग्रामीण और कृषि-स्टार्ट-अप्स को सहायता प्रदान करने के लिए ₹100 करोड़ की मूलनिधि के साथ उत्प्रेरक पूंजी निधि (सीसीएफ) की स्थापना की. इसमें से ₹18 करोड़ की राशि नैबकिसान फाइनेंस लिमिटेड और तीन उद्भवन केंद्रों को मंजूर की गई है.

चित्र 4.4: ग्रामीण/ कृषि-व्यवसाय में उद्भवन केंद्रों का संवर्धन - 31 मार्च 2023 की स्थिति

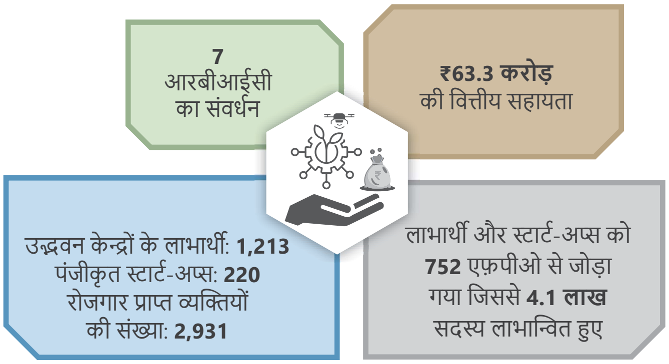

नोट: 1. आरबीआईसी = ग्रामीण व्यवसाय उद्भवन केंद्र
2. स्टार्ट-अप भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के साथ पंजीकृत हैं.

इनमें से, अब तक:

- मदुरै एग्री बिज़नेस उद्भवन फोरम ने ₹1.9 करोड़ के संचयी वित्तपोषण के साथ सात स्टार्ट-अप्स को सहायता उपलब्ध कराई है;

चित्र 4.5: विपणन पहलों में प्रगति

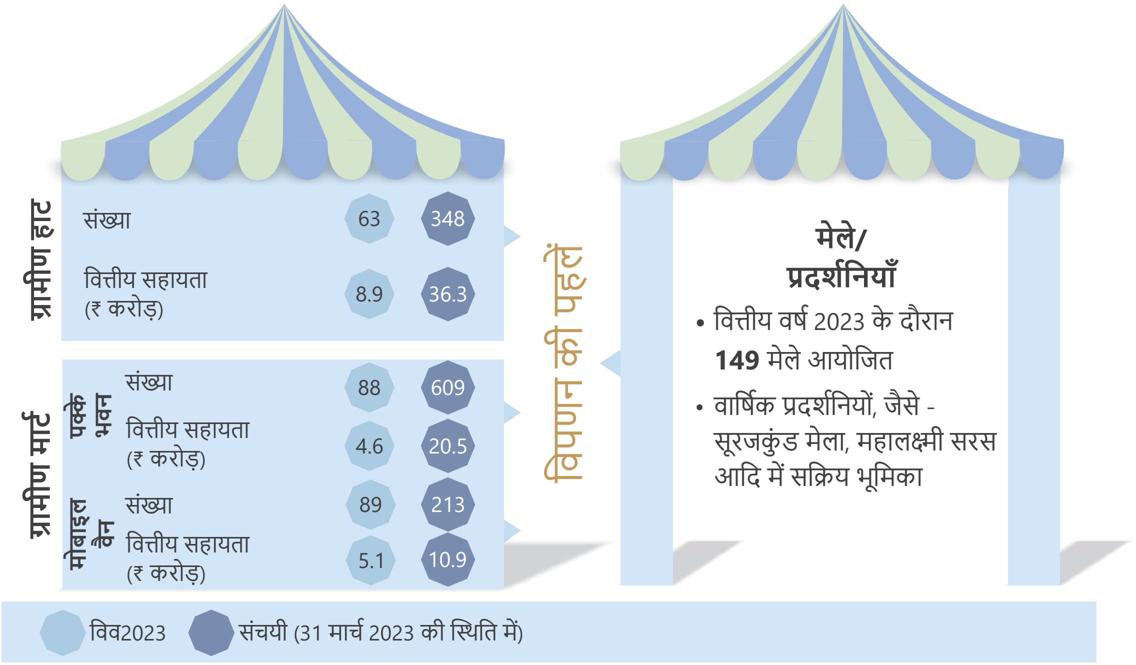

- नैबकिसान ने दो स्टार्ट-अप्स को ₹1.1 करोड़ की सहायता प्रदान की है;
- ए-आइडिया नामक संस्था ने चार स्टार्ट-अप्स का चयन किया है, जिन्हें ₹1 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी; और
- एगहब नामक संस्था ने चार स्टार्ट-अप्स का चयन किया है, जिन्हें ₹1.6 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी.

वित्तीय वर्ष 2023 के दौरान, सीसीएफ के तहत पाँच स्टार्ट-अप की सहायता के लिए ₹97.5 लाख की राशि संवितरित की गई.

4.5.3 विपणन संबंधी पहलें

उत्पादकों के लिए विपणन एक कठिन चुनौती होती है; स्वयं सहायता समूह विपणन कौशल और अवसरों को विकसित करने पर अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं. बेहतर विपणन के साथ उत्पादकों की मदद करने के लिए, नाबार्ड द्वारा ग्रामीण हाट और मार्ट स्थापित करने और राष्ट्रीय और क्षेत्रीय प्रदर्शनियों और मेलों में कारीगरों और शिल्पकारों की भागीदारी बढ़ाने के लिए सहायता प्रदान की जाती रही है (चित्र 4.5).

प्रौद्योगिकी के माध्यम से समावेशिता, दक्षता और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के भारत सरकार के विज़न को साकार करते हुए ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी) और सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) पोर्टलों को लॉन्च किया गया है, जिससे ई-कॉमर्स और स्वयं सहायता समूह, एफपीओ और ओएफपीओ के उत्पादों की बिक्री में तेजी आई है. नाबार्ड ने एफपीओ और ओएफपीओ को ओएनडीसी नेटवर्क से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसके फलस्वरूप ग्रामीण उत्पादक डिजिटल माध्यम से अपने उत्पाद बेच सकते हैं और उन्हें बेहतर बाजार लिंकेज प्राप्त हुए हैं (बॉक्स 4.3).

बॉक्स 4.3: ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी) पर सामुदायिक संगठनों को ऑनबोर्ड कराना

नाबार्ड ने ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों और ओएनडीसी में शामिल होने के लिए स्वयं सहायता समूहों और संयुक्त देयता समूह को प्रशिक्षित करने के लिए क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ प्रायोजित कार्यक्रम आयोजित किए. स्वयं सहायता समूहों ने वाणिज्यिक डिजिटल मार्केटप्लेस- आई-टोकरी, कोऑप, क्राफ्ट्स इंडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने उत्पादों को सफलतापूर्वक ऑनबोर्ड करना शुरू कर दिया है.

नाबार्ड ने ई-कॉमर्स की जानकारी प्रदान करने और ओएनडीसी पर ऑनबोर्डिंग के लाभों का प्रसार करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए, जिनमें लगभग 800 एफपीओ को शामिल किया गया. उत्पादों की सूची (कैटलॉग) की डिजाइन बनाने और उसे तैयार करने पर हुए व्यय की आंशिक प्रतिपूर्ति पर भी सहमति व्यक्त की गई है. 31 मार्च 2023 तक, नाबार्ड द्वारा संवर्धित 454 एफपीओ, 19 ओएफपीओ और 12 स्वयं सहायता समूहों को ओएनडीसी नेटवर्क पर उपलब्ध विभिन्न विक्रेता एप्लिकेशनों पर ऑनबोर्ड किया जा चुका है. अगले वित्तीय वर्ष में ऑनबोर्डिंग को और बढ़ाया जाएगा.

कुल मिलाकर, स्वयं सहायता समूहों, एफपीओ और ओएफपीओ को ओएनडीसी नेटवर्क पर लाना, विद्यमान स्थिति में सुधार लाने और प्रौद्योगिकी के माध्यम से संरचनात्मक सुधारों की शुरुआत करने की आकांक्षा को दर्शाता है, जिससे इस क्षेत्र में शामिल सभी हितधारकों के लिए समावेशिता, दक्षता और लागत में कमी सुनिश्चित की जा सके.

नोट: एफपीओ = कृषक उत्पादक संगठन, जेएलजी = संयुक्त देयता समूह, ओएफपीओ = कृषीतर उत्पादक संगठन, ओएनडीसी = ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स.

4.5.4 भौगोलिक संकेतक (जीआई) उत्पादों का संवर्धन

'भौगोलिक संकेतक (जीआई)' एक बौद्धिक संपदा अधिकार है जिसके तहत किसी विशिष्ट भौगोलिक स्थान में उत्पादित वस्तुओं की पहचान उस स्थान से जुड़ी विशिष्ट प्रकृति, गुणवत्ता और विशेषताओं से की जाती है. 31 मार्च 2023 तक, नाबार्ड ने जीआई के तहत 211 उत्पादों के पंजीकरण हेतु सहायता प्रदान की है और 49 उत्पादों के लिए जीआई टैग हासिल किया है.

वित्तीय वर्ष 2023 के दौरान, नाबार्ड ने 21 उत्पादों को जीआई-प्रमाणन दिलवाने के लिए कार्य किया, जिनमें निम्नलिखित उत्पाद शामिल हैं:

- बांदा शज़र पत्थर शिल्प (उत्तर प्रदेश)
- गोंड चित्रकला (मध्य प्रदेश)
- उज्जैन बाटिक प्रिंट (मध्य प्रदेश)
- लकड़ी पर नक्काशी (लद्दाख)
- करी ईशद आम (कर्नाटक)

बांदा शज़र पत्थर शिल्प (उत्तर प्रदेश)

उज्जैन बाटिक प्रिंट (मध्य प्रदेश)

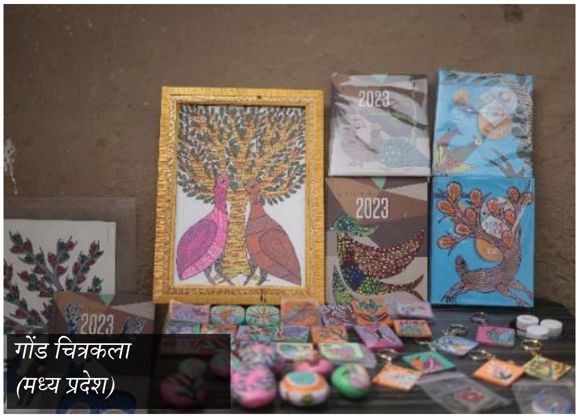
गोंड चित्रकला (मध्य प्रदेश)

लकड़ी पर नक्काशी (लद्दाख)

करी ईशद आम (कर्नाटक)

नाबार्ड ने जीआई टैग के साथ 30 उत्पादों को पंजीकृत करने के लिए वस्त्र समिति, भारत सरकार के साथ एक सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं. केरल के 21 जीआई उत्पादों के विपणन के लिए नवंबर 2022 में केरल के एर्नाकुलम जिले में एक जीआई मार्केटिंग केंद्र स्थापित किया गया है. यह देश में दूसरा ऐसा केंद्र है. पहला केंद्र नाबार्ड की सहायता से वाराणसी में स्थापित किया गया था.

4.6 कृषि क्षेत्र के विकास का संवर्धन

नाबार्ड की कृषि क्षेत्र संवर्धन निधि (एफएसपीएफ) से कृषि नवोन्मेषों, प्रौद्योगिकी अंतरण और क्षमता निर्माण के लिए सहायता प्रदान की जाती है. इस की मूलनिधि ₹60 करोड़ है और प्रतिवर्ष नाबार्ड के लाभ से विनियोजन द्वारा इसका पुनर्भरण किया जाता है. एफएसपीएफ के तहत 31 मार्च 2023 तक संचयी संवितरण ₹214 करोड़ है.

4.6.1 विस्तृत परियोजना रिपोर्ट मोड के तहत कार्यान्वित परियोजनाएँ

विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) मोड के तहत नवोन्मेषों, उत्पादकता वृद्धि, मूल्य श्रृंखला विकास, अनुसंधान संस्थानों द्वारा विकसित तकनीकों के प्रायोगिक उपयोग, एकीकृत कृषि प्रणाली, हाई-टेक कृषि, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आदि से संबंधित परियोजनाओं को सहायता दी जाती है. इन परियोजनाओं को सामान्य रूप से 2-3 वर्षों की अवधि के लिए मंजूर किया जाता है. निधि के सृजन के बाद से, डीपीआर मोड के तहत 1,810 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई और ₹104 करोड़ की अनुदान सहायता प्रदान की गई. वित्तीय वर्ष 2023 के दौरान 190 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई जिनके लिए ₹18.6 करोड़ की राशि संवितरित की गई.

4.6.2 प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए क्षमता निर्माण (कैट)

कैट कार्यक्रम के तहत एक्सपोजर दौरों के माध्यम से किसानों को कौशल-आधारित प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए अनुदान सहायता प्रदान की जाती है जिससे कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में नई प्रौद्योगिकी/ सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाया जा सके. एफएसपीएफ की शुरुआत के बाद से, 2,592 एक्सपोजर दौरों के लिए सहायता प्रदान की गई जिनमें 77,300 किसानों का क्षमता निर्माण किया गया. इसके अलावा, इस मद में ₹19.5 करोड़ की अनुदान सहायता भी प्रदान की गई है. वित्तीय वर्ष 2023 के दौरान लगभग 359 ऐसे दौरे आयोजित किए गए और लगभग 9,400 किसानों को प्रशिक्षित किया गया जिस पर ₹4.7 करोड़ का व्यय हुआ.

4.7 अनुसंधान और ज्ञान साझा करने हेतु सहायता

नाबार्ड एक समर्पित अनुसंधान और विकास निधि के माध्यम से कृषि और ग्रामीण विकास में ज्ञान के आधार का विस्तार करने के लिए अनुप्रयुक्त सामाजिक-आर्थिक अध्ययनों, सेमिनारों, प्रकाशनों, छात्र सहभागिता योजनाओं और प्रशिक्षणों के लिए सहायता प्रदान करता है. इस निधि से कृषि और ग्रामीण विकास के मुद्दों पर अनुसंधान हेतु सहायता प्रदान की जाती है ताकि नीति निर्माताओं, अन्य हितधारकों और आम जन के साथ ज्ञान को साझा किया जा सके.[1]

4.7.1 नाफिस 2.0 (एनएएफ़आईएस)

नाबार्ड ने 'अखिल भारतीय ग्रामीण वित्तीय समावेशन सर्वेक्षण {एनएआईएफ़एस (नाफिस)} 2016-17' आयोजित किया जिसमें 40,327 परिवारों को सैंपल के रूप में शामिल किया गया. इस सर्वेक्षण में ग्रामीण आबादी की आजीविका की स्थिति और वित्तीय समावेशन के स्तर का विहंगावलोकन प्रस्तुत किया गया है. नाफिस की रिपोर्ट की शिक्षाविदों, नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं, विद्वानों सहित सभी हितधारकों द्वारा सराहना की गई. एनएएफआईएस 2016-17 की उपयोगिता को स्वीकारते हुए नाबार्ड ने देश के ग्रामीण और अर्ध-शहरी परिवारों के लिए आजीविका और वित्तीय समावेशन पहलुओं की व्यापक दृष्टि प्राप्त करने के लिए नाफिस 2.0 शुरू किया, जिसमें एक लाख परिवारों को शामिल किया गया है.

4.7.2 अनुसंधान अध्ययनों, सेमिनारों और सम्मेलनों हेतु सहायता

नाबार्ड नए विचार प्राप्त करने, मौजूदा नीतियों को बेहतर बनाने और परिचालन उद्देश्यों को साकार करने हेतु नीतिगत इनपुट प्राप्त करने के लिए अनुसंधान आयोजित करता आ रहा है. ये अनुसंधान वह स्वयं अपने स्तर पर भी करता है और प्रतिष्ठित अनुसंधान संस्थानों के साथ साझेदारी में भी. 31 मार्च 2023 की स्थिति में 24 अध्ययन चल रहे हैं, जिनमें से सात नए अध्ययनों को वित्तीय वर्ष 2023 के दौरान मंजूरी दी गई है.

अनुसंधान एवं विकास निधि के अंतर्गत 181 सेमिनार/ वेबिनार/ सम्मेलन मंजूर किए गए, जिनके तहत विचार-विमर्श के विषय हैं - कृषि विपणन, कृषि-निर्यात, संधारणीय आजीविका के लिए जनजातीय विकास पहलें, वित्तीय समावेशन, वर्षा सिंचित कृषि-पारिस्थितिकी प्रणालियों पर पुनर्विचार, वैश्विक खाद्य सुरक्षा, जलवायु-अनुकूल आजीविका के लिए संधारणीय फसल गहनता, पोषण सुरक्षा आदि. एफएसपीएफ के तहत, कृषि मेलों/ संगोष्ठियों, कार्यशालाओं आदि के आयोजन के लिए वित्तीय सहायता के साथ-साथ किसानों के बीच ज्ञान के प्रसार और प्रौद्योगिकी के प्रति जागरूकता निर्माण के लिए ₹5.4 करोड़ की राशि संवितरित की गई.

4.7.3 छात्र सहभागिता योजनाएँ

जमीनी स्तर के अपने कार्यक्रमों/ योजनाओं पर एक नया और अभिनव दृष्टिकोण प्राप्त करने के लिए, नाबार्ड छात्रों को अपने से जोड़ रहा है (नाबार्ड 'स्टूडेंट इंटर्नशिप योजना' और 'उत्कृष्ट पीएचडी थीसिस हेतु नाबार्ड पुरस्कार' जैसी योजनाओं के माध्यम से). इन योजनाओं के तहत छात्रों से क्षेत्र-आधारित अध्ययन करवाए जाते हैं जिनका उपयोग हमारी मौजूदा नीतियों में सुधार करने के लिए और नई नीतियाँ तैयार करने के लिए किया जाता है.

4.7.4 प्रकाशन

नाबार्ड अपने सभी हितधारकों को नवीनतम अध्ययनों और अनुसंधान से जुड़े विकास से अवगत रखने के लिए सूचनाओं के प्रसार के लिए निरंतर रिपोर्ट, शोधपत्र और लेख प्रकाशित करता रहा है. इसके कुछ प्रकाशनों का विवरण नीचे प्रस्तुत किया गया है.

- *ईकोथिंक* (मासिक), *ईकोवॉच* (साप्ताहिक), *रूरल पल्स* जैसे अनुसंधान बुलेटिन और अन्य प्रकाशन द्वारा आस्ति-देयता समिति, नाबार्ड की निवेश समिति और अन्य उपयोगकर्ता विभागों के लिए उपयोगी जानकारी प्राप्त होती है.
- सामयिक हित के मुद्दों पर जिला विकास प्रबंधकों के माध्यम से एकत्र किए गए प्राथमिक आँकड़ों के आधार पर लघु शोध रिपोर्ट का एक संग्रह *इनसाइट* है. वित्तीय वर्ष 2023 के दौरान *एग्रीकल्चर इन इंडिया@75* और *वीमेन एम्पावरमेंट: अ रियेलिटी चेक* नामक दो रिपोर्टें प्रकाशित की गईं.
- *'सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट'* आर्थिक, सामाजिक संदर्भों के साथ-साथ अभिशासन और पर्यावरण के क्षेत्र में नाबार्ड के निष्पादन पर जानकारी प्रदान करती है.
- भारतीय कृषि, ग्रामीण ऋण तथा खाद्य और पोषण सुरक्षा जैसे विभिन्न विषयों पर इन-हाउस शोध पत्र प्रकाशित किए गए.
- *रिसर्च एंड पॉलिसी सीरीज* के अंतर्गत प्रख्यात विद्वानों और डोमेन विशेषज्ञों द्वारा प्रासंगिक विषयों पर आधिकारिक पेपर में भविष्य के लिए शोध के मुद्दों, उनकी नीतिगत प्रासंगिकता, निदेशों और सुझावों पर प्रकाश डालते हैं. वित्तीय वर्ष 2023 के दौरान ऐसे 11 पेपर प्रकाशित किए गए.
- *रिसर्च क्रॉनिकल* एक नई अर्धवार्षिक श्रृंखला है जो पूर्ण हो चुके अनुसंधान और विकास अध्ययनों पर आधारित लेखों का एक संग्रह है. इस प्रकाशन में इन अध्ययनों से प्राप्त अनुसंधान निष्कर्षों और अनुशंसाओं का सार प्रकाशित किया जाता है. इस प्रकार, यह प्रकाशन ज्ञान प्रसार का एक मंच प्रदान करता है. 2 जनवरी 2023 को इसका पहला अंक प्रकाशित किया गया जिसमें पाँच अध्ययनों को शामिल किया गया है.

4.7.5 संसाधन पूल का रख-रखाव

नाबार्ड के मुंबई स्थित प्रधान कार्यालय के केन्द्रीय पुस्तकालय में 25,791 पुस्तकें, 85 जर्नल्स/ आवधिक प्रकाशन/ पत्रिकाएँ, 14 समाचार पत्र, 15 विभिन्न एजेंसियों के 35 वेब-आधारित/ ऑनलाइन डेटाबेस/ दैनिक/ पत्रिकाएँ/ जर्नल्स हैं. बैंकर ग्रामीण विकास संस्थान, लखनऊ के पुस्तकालय में प्रशिक्षुओं और संकाय सदस्यों की ज्ञान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पुस्तकों और पत्रिकाओं का एक विशाल संग्रह भी है.

4.8 संधारणीय आजीविका के माध्यम से समावेशी विकास

समावेशी विकास एक बहु-आयामी ढाँचा है जिसका उद्देश्य वंचित वर्ग, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों, अल्पसंख्यक समूह और अत्यंत गरीब वर्ग तक पहुँचना है. समावेशी और साम्यिक ग्रामीण विकास के अपने अधिदेश के प्रमुख लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, नाबार्ड द्वारा विकासात्मक/ संवर्धनात्मक कार्यक्रम कार्यान्वित किए जाते हैं जो स्थायी आजीविका, सामुदायिक विकास और आय सृजन के अवसर प्रदान करते हैं (विशेष रूप से कृषि-संबद्ध सूक्ष्म उद्योगों और ग्रामीण उद्यमशीलता सेवाओं में). इन कार्यक्रमों में सहयोग के लिए नाबार्ड विभिन्न सेवाएँ भी उपलब्ध कराता है, जैसे- कौशल विकास, विपणन प्लेटफार्मों का सृजन, ओएफपीओ का संवर्धन और ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, विशेष रूप से महिलाओं, के लिए सूक्ष्म-वित्त की सुविधा.

भविष्य में, नाबार्ड के कार्यकलापों का विश्लेषण इम्पैक्ट बैलेंस शीट रिपोर्टिंग के तहत और संधारणीय विकास लक्ष्यों के समक्ष किया जाएगा और तदनुसार उनकी मैपिंग की जाएगी. अनुसंधान और विकास से मौजूदा योजनाएँ सुदृढ़ होंगी, स्टार्ट-अप्स के लिए नीति निर्माण में सहयोग मिलेगा और प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा मिलेगा.

नोट्स

1. शोध रिपोर्टें https://www.nabard.org/Publication.aspx?cid=50&id=24 पर उपलब्ध हैं.